



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112022-240535  
CG-DL-E-24112022-240535

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5231]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2022/अग्रहायण 2, 1944

No. 5231]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2022/AGRAHAYANA 2, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2022

का.आ. 5460(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ., जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में NH353J के कि.मी. 15.73 से कि.मी. 35.08 (प्रशासकीय इमारत तहसील कार्यालय सावनेर जिल्हा नागपुर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "२५/१२/२०२१" को "दैनिक भास्कर" और "नवराष्ट्र" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में NH353J के कि.मी. 15.73 से कि.मी.35.08 (प्रशासकीय इमारत तहसील कार्यालय सावनेर जिल्हा नागपूर ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नागपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कलमेश्वर				
	गांव का नाम: उबगी				
1	गावठाण	सरकारी (गावठाण (आबादी))	गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र (आबादी)	0.3255	गांवठान (नितिन मोतीलाल परवरकर(0.0432), सीताराम लक्ष्मणराव परवरकर और मंगेश सीताराम परवरकर(0.0468), इंदिरा युवराज परवरकर(0.0418), सुरेखा शिवचंद्र अवारी(0.0287), गिरधर नारायण आवारी और सुलोचना गि. आवारी (0.0176), सुरेश लक्ष्मणराव आवारी और सुनंदा सुरेश आवारी (0.0213), निरुत्तम हरीराम बिलोने और सोनीबाई नि. बिलोने (0.0067), शिवचंद्र हरीराम बिलोने और सुनीता शि. बिलोने (0.0187), राजेन्द्र मानीकराव वाकडे (0.0087), दिलीप मानीकराव वाकडे (0.0087), अशोक मानीकराव वाकडे (0.0087), केसरीचंद्र बालचंद्र कोथेकर और रूखमा बालचंद्र कोथेकर (0.0251), पवन केसरीचंद्र कोथेकर (0.0257), बबन बुधुजी बगुले (0.0238)) ( )
			कुल	0.3255	

[फा. सं. NHAI/PIU/NGP-2/NK/LA/3(a)/3D ]

राजेश गुप्ता, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd November, 2022

**S.O. 5460(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH353J on the stretch of land from Km. 15.73 to Km. 35.08 (Administrative Building Tahsil Karyalaya Saoner District Nagpur) in the district of NAGPUR in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “Navrashtra” both dated 25/12/2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH353J in the stretch of land from Km. 15.73 to Km. 35.08 (Administrative Building Tahsil Karyalaya Saoner District Nagpur) in the district of NAGPUR in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA		District: NAGPUR			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kalameshwar				
	Village: Ubgi				
1	GAOTHAN	Government (GAOTHAN)	GOVERNMENT OF MAHARASHTRA(Abadi)	0.3255	Gaothan (Nitin Motilal parwarkar(0.0432), Sitaram Laxmanrao Parwarkar and Mangesh Sitaram Parwarkar(0.0468), Indira Yuvraj parwarkar(0.0418), Surekha Shivchandra Awari(0.0287),Girdhar Narayan Awari and Sulochana Girdhar Awari(0.0176),Suresh Laxmanrao Awari and Sunanda Suresh Awari(0.0213), Nirutaam

					Hariram Bilone and Sonibai Nirutaam Bilone(0.0067),Shivchandra Hariram Bilone and Sunita Shivchandra Bilone(0.0187),Rajendra Manikrao Wakde(0.0087), Dilip Manikrao Wakde(0.0087), Ashok Manikrao Wakde(0.0087), Kesarichand Balchand Kothekar and Rukhma Balchandra Kothekar(0.0251), Pawan Kesarichand Kothekar(0.0257), Baban Budhuji Bakule(0.0238))
			<b>TOTAL</b>	<b>0.3255</b>	

[F. No. NHAI/PIU/NGP-2/NK/LA/3(a)/3D]

RAJESH GUPTA, Director